उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1645. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कर्ज के रूप में विश्व बैंक से हाल ही में कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है —

	हस्ताक्षर करने की तारीख	ऋण समाप्ति की तारीख	सहायता की राशि (लाख अमेरिकी डालरों में)
उत्तर प्रदेश			
1. उ० प्र० सार्वजनिक नलकूप चरण–II परियोजना (अ०वि०संघ ऋण 1332 आई०एन०)	31–3–83	31–3–88	1010
2. अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना (अ०वि० संघ ऋण 1483–आई०एन०)	29–6–84	30–9–91	1250
बिहार			
1. सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना (बिहार और उड़ीसा) (ऋण 1289—आई०एन०)	9–11–82	31–3–87	1270

Ioan from International finance corporation

1646. SHRI DHULESHWAR MEENA. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Washington-based International Finance Corporation (IFC) is likely to channelise part of its line of equity as well as loan finance through an Indian Institutional agency and this arrangement is likely to be made available to entrepreneurs within a year from now;

(b) if so, what are the broad outlines of this scheme of IFC disbursement through an Indian agency; and

(c) whether, while naming the Indian institutions, the IFC will consult the Government of India and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The International Finance Corporation (IFC) decided in November, 1984 to meet its important objective of financing small-and-medium-sized enterprises (SMSEs) in its member countries